



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पी०एम०जी०एस०वाई० पिथौरागढ़

फोन / फ़ैक्स नं० 05964-226685

ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 157 / 03 पी०एम०जी०एस०वाई०

दि० ०४-०३-२०२२

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

**विषय :-** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ में बड़ाबे-धारी-बेल्तड़ी मो०मा० के किमी० 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ :-** अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक 482/FP/UK/ROAD/35678/2018 दि० 18-08-2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नप्रकार है :-



क्र०सं०	अधिशोषित शर्तें	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 01 मान्य है।
2	परियोजना के लिये आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 02 मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण :- (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.734 हे० गैर वानिकी भूमि खसरा नं० 10, पट्टी-पत्थरखानी, ग्राम-क्वारबन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाय तथा प्रजातियों के एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नॉटिफिकेशन करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईडलाईन पैरा 2.4 (1) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 03 (क) मान्य है। प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 03 (ख) मान्य है (प्रमाण पत्र संलग्न है)।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वनविभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण दस वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान सामिल किये जा सकते हैं।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 04 मान्य है।

१


क्र०सं०	अधिशोषित शर्तें	अनुपालन आख्या
5	<p>शुद्ध वर्तमान मूल्य : -</p> <p>(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में IA नं० 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 19.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी.(Pt.2)दि० 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दि० 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दि० 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.867 हे० वनभूमि क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।</p> <p>(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 05 (क) मान्य है।</p> <p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 05 (ख) मान्य है (शपथपत्र संलग्न है)।</p>
6	<p>प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वनभूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 36 होगी एवं पेड़ राज्य वनविभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 06 मान्य है।</p>
7	<p>परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किये जायेंगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 07 मान्य है (धनराशि जमा की गयी है, चालान संलग्न है)।</p>
8	<p>एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 08 मान्य है।</p>
9	<p>प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 09 मान्य है।</p>
10	<p>संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जायेंगे।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 10 मान्य है।</p>
11	<p>सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनवीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र, वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 11 मान्य है।</p>
12	<p>पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 12 मान्य है।</p>
13	<p>केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 13 मान्य है।</p>
14	<p>वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 14 मान्य है।</p>
15	<p>प्रयोक्त अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 15 मान्य है।</p>
16	<p>सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 16 मान्य है।</p>

क्र०सं०	अधिरूपित शर्तें	अनुपालन आख्या
17	परियोजना कार्य के निस्तारण के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 17 मान्य है।
18	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 18 मान्य है।
19	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 19 मान्य है।
20	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 20 मान्य है।
21	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल सं० 11-42/2017-एफसी दि० 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 21 मान्य है।
22	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 22 मान्य है।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई- पोर्टल ( <a href="http://parivesh.nic.in/">http://parivesh.nic.in/</a> ) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त सं० 23 मान्य है।

भवदीय,

  
अधिशाली अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़। 


प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
अधिशाली अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।

:: प्रमाण पत्र :: शर्त 5 (ख)

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करा दी गयी है शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप से देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा।

  
AE

  
अधिसासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

:: प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड मूनाकोट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे-धारी-बेल्लडी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मो0मा0 (लम्बाई 4.625 किमी0) के निर्माण हेतु 7.734 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किया गया है। उपरोक्त कार्य हेतु जनपद पिथौरागढ़ में तहसील-पिथौरागढ़, पट्टी-पत्थरखानी, ग्राम-क्वारबन के अन्तर्गत गैर जमींदारी विनाश खतौनी खता सं0-44, श्रेणी-10(4) बंजर नौकाबिल आवाद के खेत नं0 10 मध्ये रकवा 7.734 हे0 सिविल भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1893 की राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि को पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

1.2

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0  
पिथौरागढ़

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

वन अधिकारी  
पिथौरागढ़

## वृक्षारोपण का प्राक्कलन

परियोजना विवरण:- जनपद पिथौरागढ़ अन्तर्गत बड़ाबे धारी बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से क्वारबन तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना हेतु हस्तांतरित कुल वन भूमि का क्षेत्र- 3.867 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का क्षेत्रफल- 7.734

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का नाम:- पत्थरखानी


रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या:- 1100

क्रम सं०	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रु०)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमांकन	1	है०	147	है०	147
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान)	0.6	है०	887	है०	532.2
3	लेंटाना/काला बांसा/गाजर घास					
अ	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को जड़	0.4	है०	6608.68	है०	2643.472
ब	लेंटाना काला बांसा/गाजर घास को क्षेत्र के बाहर नष्ट करना	0.4	है०	2202.5	है०	881
4	जल संरक्षण कार्य	1	है०	11700	है०	11700
5	कंटूर फर्रे खुदान (600 र०मी० प्रति हे०)	600	र०मी०	11.14	प्रति है०	6684
6	अग्रिम दीवाल बन्दी (फन्सिंग) 200घन मी०	90	घन मी०	478	प्रति घन	43020
7	गड्डे खुदान (0.30X0.30X0.45)	1100	है०	11.14	है०	12254
8	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है०	737	है०	737
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) (10 % अतिरिक्त)	1210	है०	8.7	है०	10527
10	रोपण क्षेत्र में प्रवेश हेतु दो तरफा सीढ़ी	1	संख्या	1006	प्रति सीढ़ी	1006
11	अन्यव्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना व वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	1	है०	470	है०	470
	योग प्रथम चरण					<b>90601.672</b>

### द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गड्डे भरान का कार्य (0.30X0.30X0.45)	1100	गड्डे	1.75	गड्डे	1925
2	पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 10 प्रतिशत अतिरिक्त	1210	पौध	1.75	पौध	2117.5

0/22

  
 जिला अधिकारी  
 जिला ग्राम्य लोकनित्त  
 पिथौरागढ़

3	पौध दुलान कार्य	1210	पौध	9.7	पौध	11737
4	पौधारोपण व थालबन्दी	1100	गड्डे	3.13	गड्डे	3443
5	कंटूर फर्रे में बीज बुवाई	600	र मी०	1.05		630
6	निराई गुडाई व मल्लिचंग (दो बार) (@1.15X2)	1100	गड्डे	2.3	गड्डे	2530
7	खाद व दवा पर व्यय	1100	है०	0.32	है०	352
8	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देखरेख व रखरखाव पर व्यय	1	है०	7235	है०	7235
9	कंटूर फर्रे खुदान कार्य जल संरक्षण हेतु	1000		11.14		11140
10	1- वृक्षारोपण क्षेत्रों के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2- सुरक्षा दीवाल/घेरबाद के बाहर 4 मीटर की पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	3- वृक्षारोपण से लाभवाञ्छित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध दुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में 2-3 बार फोटोग्रफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य।	1	है०	700	है०	700
	योग द्वितीय चरण					42784.5

### तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

कम

कम

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कन्टूर फर्रे खुदान जल संरक्षण हेतु	1000	र०मी०	11.14		11140
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	32	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	7377.6
	योग तृतीय चरण					<b>30344.6</b>

#### चतुर्थ चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वाटर हार्वैस्टिंग टैंक निर्माण	4	संख्या	4500		18000
	योग चतुर्थ चरण					<b>29827</b>

#### पंचम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

dr

2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
योग पंचम चरण					11827

**षष्ठम चरण**

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	वानस्पतिक चैक डेम निर्माण कार्य	5	संख्या	4500		22500
4	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	30	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	6916.5
	योग षष्ठम चरण					41243.5

**सप्तम चरण**

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

*dmr*

अज्ञानक अभियन्ता  
 अज्ञानक अभियन्ता  
 अज्ञानक अभियन्ता

	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	वाटर हार्वेस्टिंग टैंक निर्माण	5	सख्या	4500		22500
	योग सप्तम चरण					<b>34327</b>

## अष्टम चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग अष्टम चरण					<b>22201.75</b>

## नवम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225

dsz



	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
3	कुली वालिंग मरम्मत कार्य	45	घन मी०	230.55	प्रति घनमी०	10374.75
	योग नवम् चरण					<b>22201.75</b>

### दशम् चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1	है०	10852	है०	10852
2	2.1- वृक्षारोपण क्षेत्र के अर्न्तगत सुखे घास-फुस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है०	1	है०	350	है०	350
	2.2- सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	1	है०	225	है०	225
	2.3 वृक्षारोपण से लाभवान्चित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1	है०	400	है०	400
	योग दशम चरण					<b>11827</b>
	कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण)					<b>337185.77</b> या <b>337184.00</b>

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है०

337184 रु०

वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल

7.734 है०

वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु कुल धनराशि 7.734 है० X 337184 = 26,07,781.00

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*  
वन क्षेत्र अधिकारी  
पिथौरागढ़

*(Handwritten signature)*  
प्रभागिय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक / दिनांक, पिथौरागढ़, २३ फरवरी, 202१।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ावे घारी बेलतड़ी मोड़ के किमी 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.867 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय की पत्र संख्या 08बी०/यू०सी०पी०/06/56/2019एफ०सी०/2914 दिनांक 13.03.2020 व प्रस्तावक विभाग की पत्र सं० 99/03 पी०एम०जी०एस०वाई दिनांक 10.02.2021।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का बिन्दुवार अनुपालन कर लिया गया है, व सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं एन०पी०वी० की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:- यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

संख्या:- 3132 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०, पिथौरागढ़, को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0 पिथौरागढ़।

फोन / फैक्स नं0 05964-226685

ई-मेल:- eepmgsypithoragarh1@rediffmail.com

पत्रांक 99 /03 पी0एम0जी0एस0वाई0

दि0 10-02-2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग,  
पिथौरागढ़।

**विषय :-** जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे-धारी-बेल्तड़ी मो0मा0 के किमी0 10.00 से क्वारबन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.867 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। विधिवत् स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर आख्या बिन्दुवार निम्नलिखित है-

**शर्त संख्या 1-** के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु ₹ 26,07,781.00 (रूपया छब्बीस लाख सात हजार सात सौ इकासी) मात्र की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-क्वारबन, पट्टी-पत्थरखानी, तहसील-पिथौरागढ़, जिला-पिथौरागढ़ की सिविल एवं सोयम वनभूमि जिसका क्षेत्रफल 7.734 हे0 वनविभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित कर दिया गया है। जिसकी खतौनी की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

**शर्त संख्या 2-** के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा ₹ 25,40,619.00 (रूपया पच्चीस लाख चालीस हजार छः सौ उन्नीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि वनविभाग के पक्ष में जमा करा दी गयी है।

**शर्त संख्या 3-** के अनुपालन में इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र पुनः संलग्न किया जा रहा है कि यदि भविष्य में एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी। (छायाप्रति संलग्न)।

**शर्त संख्या 4-** के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त मदों में देय धनराशि ₹ 51,48,400.00 (रूपये इक्यावन लाख अडतालीस हजार चार सौ) मात्र को आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund उत्तरांचल एस0बी0 एकाउण्ट नं0 150896135678245 कॉरपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, ब्लॉक-11, भूतल, सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स फेज-1, नई दिल्ली में जमा कर दिया गया है, धनराशि का हस्तान्तरण ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

**शर्त संख्या 5-** के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोग्ता अभिकरण द्वारा अपने वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

*NB*  
अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

*NB*  
अधिशासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो0नि0वि0,  
पिथौरागढ़।

भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन  
मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)  
25 शुभाष रोड, देहरादून-248001  
दूरभाष: 0135-2650809  
फैक्स-0135-2653010  
ईमेल - moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &  
CLIMATE CHANGE  
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL  
ZONE)  
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001  
PHONE- 0135-2650809  
FAX- 0135-2653010  
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं० 08बी/यूसी0पी0/06/56/2019/एफ0सी0/2914

दिनांक: 13/03/2020

संग में

अपर मुख्य सचिव (वन),  
उत्तराखण्ड शासन,  
शुभाष रोड, देहरादून।

विषय: जनपद - पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बडावे-धारी-बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से बवारवन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.867 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या- 272/x-4-19/1(24)/2019 दिनांक 03.05.2019  
तहदीद।

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/35678/2018 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयवर्तित प्रस्ताव पर केंद्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

परन्तु प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त सूचनाये धाड़ी गयी थी, जिसकी अन्तिम अनुपालना अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए.), उत्तराखण्ड के समसंख्यक पत्र दिनांक 20.02.2020 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत केंद्र सरकार - जनपद - पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रस्तावित बडावे-धारी-बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से बवारवन तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 3.867 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

- वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
- परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
- प्रतिपूरक वनीकरण:  
क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.734 हे० गैर वानिकी भूमि खसरा नं० 10, पट्टी पत्थरखानी, ग्राम बवारवन में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।  
ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तांतरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अंतर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।
- प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सामांजन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा आंशिक रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भाविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उचित प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
- शुद्ध वर्तमान मूल्य  
(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या: 202/1995 में 1A नंबर 556 दिनांक

- 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.867 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
- (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 38 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
  7. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूर्क धनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
  8. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
  10. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
  11. सीडक्यूएलडब्ल्यू / एनडीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की क्षतिपूर्तियों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
  12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
  13. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
  14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
  15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा बैंकल्पिक इंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः बैंकल्पिक इंधन दिया जाएगा।
  16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
  17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
  18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
  19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
  20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
  21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
  22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
  23. अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic-in/>) पर अपलोड की जाएगी।

महोदय

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वातनिकी)

प्रतिनिधि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अवर वन महानिदेशक (एफओसीओ), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अवर प्रमुख वन संरक्षक एवं गार्डल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)

तकनीकी अधिकारी (वातनिकी)

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964- 225234

पत्रांक 3536/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 08, मई, 2020।

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लोनिवि, पीएमजीएसवाई,  
पिथौरागढ़।

विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत बड़ावे-धारी-बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी 10.0 से क्वारबन तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु (FP/UK/ROAD/35678/2018) हेतु 3.867 हे० वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रान्त होने के फलस्वरूप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक 254/03 दि० 08-05-2020 व भारत सरकार पर्यावरण, वन मंत्रालय के आदेश सं० 08 बी/यू०सी०पी०/०५/५६/२०१९/एफ सी/२९१४ दिनांक 13.03.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेश एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं० 1 व 2 उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र० सं०	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन०पी०वी०	3.867 हे०	6,57,000 /- (ईको क्लास V) घनत्व 0.2	25,40,619 /-
2	क्षतिपूरक	7.734 हे०	3,37,184 /-	26,07,781 /-

कृपया उक्त डिमान्ड नोट आन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

**AGENCY COPY****NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 21-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135678245
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/56/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	I.D. PWD PMGSY PithoragarhPithoragarh
Amount(in Rs)	5148400/-

Amount in Words :Fifty-One Lakh Forty-Eight Thousand Four Hundred Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896135678245 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

**BANK COPY****NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA**

Date : 21-05-2020

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6135678245
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/56/2019/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	I.D. PWD PMGSY Pithoragarh Pithoragarh
Amount(in Rs)	5148400/-

Amount in Words :Fifty-One Lakh Forty-Eight Thousand Four Hundred Rupees Only

**NEFT/RTGS to be made as per following details;**

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896135678245 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskampa@corpbank.co.in)

## आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/56/2019/एफ.सी./2914 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बड़ाबे धारी-बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी 10 से क्वारबन तक मोटर मार्ग के निर्माण में आ रही 3.867 है० वन भूमि के बदले 7.734 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत बड़ाबे धारी-बेलतड़ी मोटर मार्ग के किमी 10 से क्वारबन तक मोटर मार्ग निर्माण में आ रही 3.867 है० वन भूमि के बदले उप जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ की आख्या/सहमति के आधार पर ग्राम क्वारबन पट्टी धत्थरखानी तहसील पिथौरागढ़ के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-44 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 10 मध्ये रकवा 7.734 है० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार पिथौरागढ़ स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक नवम्बर 17, 2020

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

### कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या-262 /सात-02 /2020-21

दिनांक नवम्बर 17, 2020

- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
  2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
  3. उप जिलाधिकारी पिथौरागढ़।
  4. तहसीलदार पिथौरागढ़ को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
  5. अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिचाई खण्ड पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ० विजय कुमार जोगदण्डे)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

रण खतैनी ग्राम - बवार बजराम स्व. उपनिरीक्षक क्षेत्र - पत्थारखानी तहसील / जिला - पिथौरागढ़

जि. को. क्र. 001 (अ) अन्व. कारणों से उत्कृष्टक. भूमि (ज. नं. 8116)

प्राचीनी - पी. 230 जी. एस. वाड पिथौरागढ़

खाता खतैनी सं०	खातेदार का नाम व पिता का नाम	फसली वर्ष	खेत नं.	क्षेत्रफल ना.मु.	क्षेत्रफल हे.ने	विवरण			
44	बजराम बवार बजराम	1374	1	9821	2.312				
			2	98011	2.817				
			3	23211	10.712				
			4	25811	5.712				
			7	211	0.050				
			9	25011	5.765				
			10	28811	11.347				
			11	290	2.225				
			13	825	0.846				
			15	8081	12.161				
			16	98211	3.259				
			17	8081	12.225				
			18	988811	29.372				
			19	938211	27.395				
			20	98211	3.259				
			कारि खतैनी 3005						
					24	4047	220	9.027	
						4049	98	0.381	
						4051	83	1.264	
						4087	200	4.172	
Photo Copy Attached									
सहायक अभियन्ता सिंचाई खण्ड लो०नि०वि पिथौरागढ़									
		योग	116	939800	264.671				

महोदय

उत्कृष्टक. भूमि से उत्कृष्टक. भूमि

7/15/12

पिका लवसा ग्राम - वनक वन २०३० नि० डोळ पत्थारवानी तहसील व जिला पिथौरागढ

क्र. १०(४) अन्व कारणां हे अकृषक शेत (क० न० ३००)

विषय: अनिपूरक वृद्धारापण हेतु प्रस्तावित शेत

खाने संख्या	नाम रवावेदार / पिला	खेत संख्या	डोळपण	प्रस्तावित खेत संख्या	प्रस्तावित डोळपण	टिपण
44	वज्र नाकाविल आषाढ	10	11347	10 म०	7.734	7.734 डोळपण खेत सं० 10 मध्ये अनिपूरक वृद्धारापण हेतु प्रस्तावित
	शेता	1	11347	1	7.734	

Photo copy Attached

सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो० नि० वि०  
पिथौरागढ

अ. १०(४)


पिका लवसा तहसील पिथौरागढ


6/5/18  
(पी० सी० नावडी)

तहसील एवं जिला - पिथौरागढ

:: बचनबद्धता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे-धारी-बेल्लड़ी मोटर मार्ग के किमी० 10.00 से क्वाबरन मोटर मार्ग की एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।


  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि,  
पिथौरागढ़

  
अधिसासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि,  
पिथौरागढ़।

:: बचनबद्धता प्रमाण पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बड़ाबे-धारी-बेल्तड़ी मोटर मार्ग के किमी 10.00 से क्वाबरन मोटर मार्ग में सड़क निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ पर सम्भव हो सड़क के दोनों किनारे तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।

  
सहायक अभियन्ता  
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०  
पिथौरागढ़

  
अधिसासी अभियन्ता,  
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०,  
पिथौरागढ़।